



2026:AHC: 17319

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 42224/2025

शिव सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 33 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: द्विजेंद्र प्रसाद, प्रद्युम्न कुमार
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, किरावली, जनपद आगरा द्वारा 04.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष 03.10.2025 को एक आवेदन दायर किया गया था, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में संलग्न है। यह तर्क दिया गया है कि पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता नया आवेदन दाखिल करेंगे, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 मामले में शीघ्रता से उचित आदेश पारित करेंगे।

3- वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में और वाद के गुण-दोष पर गौर किए बिना, याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, किरावली, जनपद आगरा के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपनी सभी शिकायतों को व्यक्त करते हुए नया आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करते हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 उसके बाद दो महीने के भीतर विधि के अनुसार कड़ाई से मामले में उचित आदेश पारित करेंगे और अपने स्वयं के आदेश दिनांक 04.08.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सकलेन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।